दिनांक 09.05.2025 को प्रातः 11:00 बजे बैठक हाल, प्रथम तल, जिला विकास भवन, रोहतक में श्री रामअवतार बाल्मिकी, महापौर, नगर निगम रोहतक की अध्यक्षता में नगर निगम, रोहतक की सामान्य बैठक आयोजित की गई, जिसमें निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुएः-

1. श्री अक्षय कुमार, सदस्य वार्ड नं0 01, नगर निगम, रोहतक।
2. श्रीमती आशा लता, सदस्य वार्ड नं0 02, नगर निगम, रोहतक।
3. श्रीमती ज्योति, सदस्य वार्ड नं0 03, नगर निगम, रोहतक।
4. श्रीमती रिन्कु, सदस्य वार्ड नं0-04, नगर निगम, रोहतक।
5. श्री सुरेश चन्द्र, सदस्य वार्ड नं0 05, नगर निगम, रोहतक।
6. श्रीमती नीरा भटनागर, सदस्य वार्ड नं0-06, नगर निगम, रोहतक।
7. श्री कपिल नागपाल, सदस्य वार्ड नं0-07, नगर निगम, रोहतक।
8. श्री विजेन्द्र सिंह, सदस्य वार्ड नं0-09, नगर निगम, रोहतक।
9. श्री परीक्षित देशवाल, सदस्य वार्ड नं0-11, नगर निगम, रोहतक।
10. श्री सुशील, सदस्य वार्ड नं0-12, नगर निगम, रोहतक।
11. श्रीमती कृष्णा, सदस्य वार्ड नं0-13, नगर निगम, रोहतक।
12. श्रीमति कंचन खुराना, सदस्य वार्ड नं0-14, नगर निगम, रोहतक।
13. श्रीमती अनीता, सदस्य वार्ड नं0-15, नगर निगम, रोहतक।
14. श्रीमती मुक्ता, सदस्य वार्ड नं0-16, नगर निगम, रोहतक।
15. श्रीमती डिम्पल जैन, सदस्य वार्ड नं0-17, नगर निगम, रोहतक।
16. श्रीमती बेबी रानी, सदस्य वार्ड नं0-18, नगर निगम, रोहतक।
17. श्री विजय गोयल, सदस्य वार्ड नं0-19, नगर निगम, रोहतक।
18. श्री प्रवीन कौशिक, सदस्य वार्ड नं0-20, नगर निगम, रोहतक।

19. श्री बिजेन्द्र सिंह, सदस्य वार्ड नं0-21, नगर निगम, रोहतक।

20. श्रीमती सुमन, सदस्य वार्ड नं0-22, नगर निगम, रोहतक।

सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय ने बैठक में उपस्थित सभी पार्षदगणो तथा अधिकारियों का स्वागत किया तथा बैठक में उपस्थित सभी सदस्यो व अधिकारियो द्वारा राष्ट्रीयगान किया गया। तदोउपरांत सदन में दिवंगत आत्माओ की शांति के लिए मौन रखा गया। ततपश्चात सदन की बैठक में निम्नानुसार बिन्दुओ पर विचार-विमर्श किया गया:-

क्रम संख्या	एजेन्डा	निर्णय
1.	**हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 की धारा 40 के अनुसार Ad hoc Committees का गठन करने बारे सदन में विचारार्थ।**	इस बारे सदन में गहन विचार-विमर्श हुआ तदोउपरांत निर्णय लिया गया कि यह एजेन्डा आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये तथा सदन की आगामी बैठक में सभी वार्ड सदस्यो की सर्वसम्मति या मतदान के द्वारा Ad hoc Committees का गठन किया जायेगा।
2.	**जिला मुख्यालय पर योग व्यायामशाला के निमार्ण के संबंध में।** विषयाधीन मामले में मुख्यालय के पत्र कमांक Tech/Sect-I/2025/1541 दिनांक 30.04.2025 के तहत प्रत्येक जिले में एक एकड़ रकबे/भूमि पर योग व्यायामशाला के निमार्ण करने के निर्देश प्राप्त हुए है। जिला रोहतक मे योग व्यायामशाला के निमार्ण बारे कार्यालय द्वारा सुखपुरा चौक सामुदायिक केन्द्र में स्थित एक एकड़ खाली भूमि को चिन्हित किया गया है। योग व्यायामशाला के निमार्ण हेतु सदन से स्वीकृति हेतु सदन के विचारार्थ प्रस्तुत है।	सदन द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।
3.	**गॉव सुनारियॉ कलां व सुनारियॉ खुर्द में उपस्वास्थय केन्द्र/HWC भवन के पुननिर्माण हेतू जमीन बारे।** उक्त विषय बारे आप महोदय को अवगत करवाया जाता है कि कार्यालय की कार्यकारी अभियन्ता शाखा के पत्र क्रमांक MCR/EE/2024/5520 दिनांक 30.12.2024 प्राप्त हुआ है। जिसमें उन्होनें गॉव सुनारियॉ कलां व सुनारियॉ खुर्द में उपस्वास्थय केन्द्र/HWC भवन के पुननिर्माण करने बारे भूमि से सम्बन्धित रिकार्ड व निशानदेही रिपोर्ट बारे लिखा है। गॉव सुनारियॉ कलां मे पुराने बने हुए उपस्वास्थय केन्द्र का मौका निरीक्षण किया गया। कार्यालय में उपलब्ध रिकार्ड मुताबिक रिपोर्ट कार्यकारी अभियन्ता को उपलब्ध करवा दी गई है परन्तु गॉव सुनारीयॉ खुर्द में पहले से कोई उपस्वास्थय केन्द्र नही बना हुआ पाया गया, इसलिए कार्यकारी अभियन्ता ने उपस्वास्थय केन्द्र बनाने हेतु भूमि उपलब्ध करवाने बारे पत्र लिखा है। उपरोक्त के	सदन द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।

	सम्बन्ध में आप महोदय को अवगत करवाया जाता है कि गॉव सुनारीयॉ खुर्द में पानी की डिग्गी व जोहड के समीप नगर निगम की भूमि है। जिसमें से कुछ भूमि उपस्वास्थय केन्द्र बनाने के लिए दी जा सकती है. इसलिए गॉव सुनारियॉ कलां व सुनारियॉ खुर्द में उपस्वास्थय केन्द्र/HWC भवन के पुननिर्माण करने हेतू मामला निमार्ण हेतु सदन से स्वीकृति हेतु सदन के विचारार्थ प्रस्तुत है।	
4.	**गॉव पहरावर में शमशान भूमि को स्थानांतरित करने बारे।** उक्त विषय बारे आप महोदय को अवगत करवाया जाता है कि निदेशालय से पत्र क्रमांक DULB/Tech/EE-VII/2025/1058 दिनांक 25.03.2025 प्राप्त हुआ है। जिसके साथ एक शमशान घाट को दूसरी जगह स्थानांतरण करने बारे अनुरोध किया गया है। उक्त शमशान घाट को स्थानांतरित करने बारे माननीय न्यायालय में केस भी विचाराधीन था। केस के फैसले अनुसार शमशान घाट को दूसरी जगह स्थानांतरित करने बारे आदेश दिए गए है व यह भी स्पष्ट किया गया है कि जब तक शमशान घाट दूसरी जगह स्थानांतरित नही किया जाता तब तक इस शमशान घाट को यहॉ से नही हटाया जा सकता। शमशान घाट को दूसरी जगह स्थानांतरित करने बारे अनुरोधकर्ताओं के साथ भूमि को चिन्हित करने के लिए मौका निरीक्षण किया गया, मौका निरीक्षण उपरांत जिस भूमि को सभी ने उचित माना। यह भूमि आबादी से लगभग 03 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अतः उक्त शमशान घाट को स्थानांतरित करने हेतु मामला निमार्ण हेतु सदन से स्वीकृति हेतु सदन के विचारार्थ प्रस्तुत है।	सदन द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।
5.	**खोखराकोट, रैनकपुरा मे बूस्टर बनवाने बारे।** जनस्वास्थ्य अभियात्रिंकी विभाग रोहतक से डिपोजिट वर्क के तहत 209.73 लाख रूपये की राशि की स्वीकृति प्रदान करने बारे। खोखराकोट, रैनकपुरा में बूस्टर बनाने बारे स्वीकृति उपनिदेशक, कृते सक्षम प्राधिकारी–निदेशक, पुरातत्व एवं सग्राहलय विभाग, हरियाणा द्वारा दिनांक 15.07.2024 द्वारा प्रदान की जा चुकी है जोकि सदन के विचारार्थ प्रस्तुत है।	सदन द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।
6.	**बरसाती पानी की निकासी के लिए नजदीक गोकर्ण पार्क में जगह उपलब्ध करवाने बारे।** इस बारे अवगम करवाया जाता है की जनस्वास्थय अभियात्रिंकी विभाग रोहतक द्वारा **नजदीक गोकर्ण पार्क में 100 फीट X 150** फीट की जगह बरसाती पानी की निकासी के लिए बूस्टर बनावाने के लिए जगह की मांग की गई है जोकि सदन के विचारार्थ प्रस्तुत है।	सदन द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।

बैठक के अंत में पहलगांव में हुए आतंकी हमले व वर्तमान में पाकिस्तान के विरूद्व जवाबी कार्यवाही में हुए शहीदो व जनमानस की दिवंगत आत्माओ की शांति के लिए दो मौन रखा गया। तदोउपरांत महापौर महोदय ने उपस्थित सभी सदस्यों एवं अधिकारियो का धन्यवाद करते हुए बैठक समाप्ति की घोषणा की।

महापौर,
नगर निगम, रोहतक।

क्रमांक MCR/Mayor/2025/3492 - 95

दिनांक 16/5/25

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा माननीय सांसद, रोहतक लोकसभा क्षेत्र।
2. श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा, माननीय विधानसभा सदस्य, गढ़ी सॉपला किलोई।
3. श्रीमति शकुन्तला खटक, माननीया विधानसभा सदस्य, कलानौर।
4. श्री भारत भूषण बतरा, माननीय विधानसभा सदस्य, रोहतक।

महापौर,
नगर निगम, रोहतक।

क्रमांक MCR/Mayor/2025/3496-3504

दिनांक 16/5/25

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को स्वीकृति हेतु प्रेषित है:-

1. आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार शहरी स्थानीय निकाय विभाग, चण्डीगढ़।
2. निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय, हरियाणा, पंचकूला।
3. आयुक्त, रोहतक मंडल, रोहतक।
4. उपायुक्त, रोहतक।
5. आयुक्त, नगर निगम, रोहतक
6. सभी वार्डों के सदस्यगण, नगर निगम, रोहतक।
7. सभी विभागाध्यक्ष, जिला रोहतक।
8. सभी शाखा प्रभारी, नगर निगम, रोहतक।
9. रिकार्ड फाईल।

महापौर,
नगर निगम, रोहतक।